

'बजट घोषणा के तहत बन रही सड़कें समय से पूरी करें'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये



मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री दिया कुमार, राज्यमंत्री मंजू बाघमार, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अति मुख्य सचिव (सी.एम. कार्यालय) शिखर अग्रवाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव (सी.एम. कार्यालय) आलोक गुप्ता तथा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

जयपुर, 21 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिलती है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में आवागमन को सरल और सुगम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में सड़क निर्माण एवं संधारण सहित महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों को पूर्ण जिम्मेदारी एवं समयबद्धता के साथ पूरा करें।

मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि, राजस्थान में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की डी.पी.आर. जल्द तैयार करें।**

कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा एवं अन्य घोषणाओं के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य को समय से पूरा किया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जांच करने एवं गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यों की भी समीक्षा कर निर्देश दिए कि प्रगतिरत

राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों एवं आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा संचालित भवन निर्माण, ब्रिज कार्य एवं सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमार, सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारीगण उपस्थित थे।

राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों एवं आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा संचालित भवन निर्माण, ब्रिज कार्य एवं सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमार, सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारीगण उपस्थित थे।

'यासीन मलिक से जिरह के लिए जेल में अदालत लगाने की सोचें'

सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. से इस बारे में विकल्प तलाशने के निर्देश दिये

नयी दिल्ली, 21 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू की अदालत के कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक से आमने-सामने जिरह करने के लिए जेल में अदालत स्थापित करने का सुझाव दिया तथा गुरुवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस संबंध में विकल्प तलाशने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अजय एस्. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ ने यह निर्देश देते कहा, हमारे देश में अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था... उच्च न्यायालय में उसका पक्ष रखने के लिए वकील नियुक्त किया गया था।

जम्मू की एक अदालत ने भारतीय वायुसेना के चार कर्मियों की हत्या और 1989 में मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रूबैया सईद के अपहरण से जुड़े मामले में जिरह के लिए मलिक को पेशी का आदेश दिया था। मलिक आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की तिहाड़

■ **सी.बी.आई. ने रूबैया सईद के अपहरण के मामले में गवाहों से जिरह के लिए यासीन मलिक को जम्मू-कश्मीर ले जाने के आदेश का विरोध करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।**

सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष दलील देते हुए कहा कि मलिक अक्सर पाकिस्तान की यात्रा करता रहा है। वह हाफिज सईद के साथ मंच साझा करता रहा है। मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा

कि मलिक "सिर्फ एक आतंकवादी नहीं है" और "ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार नहीं चला जा सकता। मलिक ने मामले में गवाहों से जिरह करने के लिए स्वयं रूप से उपस्थित होने की अनुमति की गुहार लगाई।

शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जिरह नहीं करता है। श्री मेहता ने दलील देते हुए कहा कि अदालत ने कहा था कि इस मामले में मलिक को भौतिक रूप से पेश होने की अनुमति देना उचित नहीं है। पीठ ने कनेक्टिविटी के मुद्दे का हवाला दिया। सॉलिसिटर जनरल ने अपनी ओर से स्पष्ट किया कि कनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि अगर वह इस बात पर अड़े रहते हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से जिरह करना चाहते हैं तो मुकदमे को स्थानांतरित किया जा सकता।

पीठ के समक्ष मेहता ने मलिक और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी हाफिज सईद के साथ मंच साझा करते हुए मलिक को एक तस्वीर दिखाई।

आप ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 प्रत्याशी घोषित

नयी दिल्ली, 21 नवम्बर। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। आप की राजनीतिक मामलों की समिति (पी.ए.सी.) की बैठक में आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गयी। पहली सूची के उम्मीदवारों में छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर, किराडी से

■ **आप ने पहली सूची में कांग्रेस व भाजपा छोड़ कर आये नेताओं को प्राथमिकता दी है।**

अनिल झा, विश्वास नगर से दीपक सिंघला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, बरदपुर से राम सिंह नेताजी, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धींगान, घोडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी, मटियाला से सुमेधा शौकीन शामिल हैं। आप ने पहली सूची में कांग्रेस और भाजपा छोड़कर आप नामों को प्राथमिकता दी है। 11 में से छह सीटों पर दूसरे दलों से आए प्रत्याशी घोषित किए गये हैं। अनिल झा, बी.बी. त्यागी और ब्रह्म सिंह तंवर कुछ दिनों पहले ही भाजपा से आप में शामिल हुए हैं।

बारां एस.पी. के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी

डीडवाना, 20 नवम्बर (निर्स)। डीडवाना के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज तिवारी ने बारां के एस.पी. राजकुमार चौधरी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। न्यायाधीश ने बारां एस.पी. के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। साथ ही डीडवाना एस.पी. को निर्देश दिए हैं कि बारां एस.पी. को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।

अपर लोक अभियोजक महावीर चतुर्वेदी ने बताया कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मौलासर थाना क्षेत्र के सुदरसन गांव का एक फौजदारी मामला दर्ज है, जिसकी जांच बारां एस.पी. राजकुमार चौधरी ने की थी। जांच के बाद, उन्हें अनुसंधान अधिकारी होने के

■ **डीडवाना के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, 19 बार नोटिस जारी करने के बाद भी साक्ष्य के लिये नहीं आने पर बारां के एस.पी. राजकुमार चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया।**

नाते, अपने बयान अभियोजन साक्ष्य के रूप में कोर्ट में दर्ज करवाने थे। इसके लिए कोर्ट ने उन्हें 19 बार नोटिस देकर तलब किया, लेकिन बारां एस.पी. कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्हें नए बी.एन.एस. कानून के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियोजन साक्ष्य के बयान दर्ज करवाने के लिए तलब किया गया, लेकिन फिर भी बारां एस.पी. पेश नहीं हुए। कोर्ट ने इसे बड़ी लापरवाही माना और अब बारां एस.पी. राजकुमार चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया। साथ ही डीडवाना एस.पी. को पत्र लिखकर बारां एस.पी. को गिरफ्तारी वॉरंट की पालना उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी से सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए हैं।

अलवर के स्कूल मालिक के घर 15 लाख की डकैती

शहर के बीच, पॉश इलाके में हुई इस घटना ने नागरिकों में भय उत्पन्न किया

अलवर, 21 नवम्बर (निर्स)। निजी स्कूल के मालिक के घर 15 लाख रुपये से ज्यादा की डकैती हुई है। डकैत आरोपी बुजुर्ग दम्पति को बंधक बनाकर घर में करीब डेढ़ घंटे तक लूटपाट करते रहे। बुधवार देर रात घर में घुसे पांच बदमाशों ने कैश के साथ ज्वेलरी और गिफ्ट के लिफाफों तक में से पैसे निकाले और ले गए। दम्पति के बेटे-बहू बरेली शादी में गए हुए हैं। शहर के बीचोंबीच स्थित पॉश इलाके में हुई इस डकैती ने सभी को डरा दिया है। लूट की यह वारदात रात करीब डेढ़ बजे आर्यनगर (स्कीम नंबर एक) इलाके में हुई।

जयपुर रोड पर स्थित चिनार पब्लिक स्कूल के मालिक हरीश चंद गर्ग (80) ने बताया कि घटना के समय वे और उनकी पत्नी ही घर में थे। पांच बदमाश घर के बेसमेंट से ऊपर की तरफ आए थे। बदमाशों ने पहले मुझे बंधक बनाया। उन्हें उस समय हाथ-पैर बांध कर एक कमरे में पटक दिया। मुंह पर टेप लगा दी। बुजुर्ग महिला तारा देवी (75) ने बताया कि दो-तीन बदमाशों ने कमरे में आकर उन्हें पकड़ लिया था। वे चिल्लाने लगीं

■ **स्कूल मालिक के बेटा-बहू शादी में बरेली गये हुए थे। पांच नकाबपोश बदमाशों ने स्कूल मालिक व उनकी पत्नी को बांध कर कमरे में बंद किया और डेढ़ घंटे लूटपाट की।**

तो उनका मुंह दबा दिया। उनका हाथ फ्रैक्चर है, तब भी बदमाशों ने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रस्सी से कसकर बांध दिया। मुंह पर टेप लगाने से पहले, तिजोरी की चाबी के बारे में पूछा। मना किया तो उन्होंने खुद ही चाबी ढूंढ ली। आरोपियों नकदी, चांदी के सिक्के, जेवर, सब समेट कर एक थैले में भर लिया। महिला ने बताया कि उनका बेटा सी.ए. है। वह घर आएगा, तब ही पता चलेगा कि कितनी नगदी और जेवर थे।

बताया गया है कि तिजोरी लूटने के बाद उन्होंने घर की दूसरी

अलमारियों में रखे गिफ्ट के लिफाफों और गुल्लक तक में से पैसे निकाले लिए। रात करीब 3 बजे आरोपी घर से निकले। बदमाशों के जाने के बाद जैसे-तैसे बुजुर्ग महिला ने खुद के पैर से रस्सी को खोला। इसके बाद अपने पति के हाथ-पैर खोले। सूचना पर पड़ोस में रहने वाले एक रिश्तेदार घर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया।

पुलिस सी.सी.टी.वी. के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। घर में लगे सी.सी.टी.वी. में 5 नकाबपोश बदमाश सौदियों चढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाश बेसमेंट से होते हुए घर के अंदर घुसे। बुजुर्ग दंपती का बेटा नीरज गर्ग (सी.ए.), उसकी पत्नी और दोनों बेटे दो दिन पहले बरेली में रिश्तेदार के यहां शादी में गए थे।

इस बीच, घर में सफाई करने वाली महिला के अलावा कोई नहीं आया था। बेसमेंट का दरवाजा खुला था, ये जांच का विषय है। पड़ोसियों का कहना है कि एक दिन पहले बाइक पर कुछ युवक घूम रहे थे। संभावना है कि रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया।

गोगामेडी हत्याकांड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की गत अगस्त माह में अपने परिजनों से फोन पर बात कराई गई थी। इसके बाद न तो उनकी परिजनों से फोन पर बात कराई गई और न ही उनसे मुलाकात कराई गई। इसके अलावा, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जबकि संविधान के तहत हर आरोपी को अपने परिजनों से बात करने और मिलने का मौलिक अधिकार है। इसके जवाब में जेल प्रशासन ने कहा कि राज्य सरकार के 10 दिसंबर, 2019 के आदेशानुसार, विदेशी बंदियों, एन.एस.ए. राज.पासा, कोफेपोसा, यू.पी.पी.ए.ए.ए. के अंतर्गत विचारधीन कैदियों को फोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, ऊधम सिंह की आवेदन करने पर परिजनों से मुलाकात कराई गई है और

नितिन व रामवीर के साथी बंदी से मारपीट करने के कारण 17 सितंबर, 2024 को मुलाकात करने के लिए पन्द्रह दिन की पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा, उनकी ओर से मुलाकात का कोई आवेदन भी नहीं किया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्राधान्य पत्र को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर, 2023 को रोहित व नितिन ने घर में सुल्कर गोगामेडी की गोली मार कर हत्या कर दी थी।

कीनिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिकन फेडरल कानूनों का उल्लंघन करना शामिल है, के जरिये, 2 अरब डॉलर का लाभ कमाने की योजना बनाई गई थी।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने तेलंगाना सरकार को नोटिस दिया

लगचार्ला गाँव वासियों के उत्पीड़न व शारीरिक शोषण की शिकायत पर रिपोर्ट मांगी

नयी दिल्ली, 21 नवंबर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी) ने तेलंगाना पुलिस द्वारा विकाराबाद जिले के लगचार्ला गाँव के निवासियों का उत्पीड़न तथा शारीरिक शोषण करने और उन्हें झूठे आपराधिक आरोपों में फंसाने की शिकायत पर राज्य सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी है।

गुरुवार को जारी आयोग की एक विज्ञापित के अनुसार, उसने तेलंगाना के मुख्य सचिव और पुलिस महाअदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने मामले को घटनास्थल पर लगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित तथा अन्वेषण अधिकारियों की एक संयुक्त टीम वहां भेजने का निर्णय किया है जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

कथित तौर पर पुलिस ने यह मनमानी तब की जब ग्रामीणों ने उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना

■ **आयोग ने तेलंगाना के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। आयोग अपने विधि एवं अन्वेषण अधिकारियों की टीम भी मौके पर भेजेगा।**

प्रस्तावित "फार्मा विलेज" के लिए राज्य के भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। यह भी कहा जा रहा है कि इन कथित पुलिस अत्याचारों का शिकार हुए लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के हैं। उनमें से कम से कम 12 पीड़ितों ने शिकायत की और आयोग से मुलाकात कर, उन्हें भूधमर से बचाने के लिए मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की थी।

यह भी शिकायत है कि 11 नवंबर

को जिला कलेक्टर अन्य अधिकारियों के साथ प्रस्तावित फार्मा परियोजना के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण की घोषणा करने के लिए लगचार्ला गाँव पहुंचे। उसी शाम कथित तौर पर कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों के साथ सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने गांव पर छापा मारा और विरोध कर रहे ग्रामीणों पर हमला किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा। इस दौरान वहां इंटरनेट सेवाएं और बिजली आपूर्ति भी कथित तौर पर बंद कर दी गई थी।

यह भी आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं सहित ग्रामीणों के खिलाफ झूठी शिकायतों पर एफ.आई.आर. दर्ज कीं, जिससे कुछ पीड़ितों को डर के कारण अपने घर छोड़ने और भोजन, चिकित्सा सहायता, सुविधाएँ सुविधाओं आदि के बिना जंगलों और खेतों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने एक अत्याधुनिक फार्मा सिटी की

बनाने के लिए पिछली सरकार द्वारा पहले से ही अधिग्रहित आलीशान 16,000 एकड़ जमीन होने के बावजूद एकांतरफा रूप से कोर्टगत निर्वाचन क्षेत्र में एक फार्मा गाँव तैयार करने के लिए 1,374 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके का फैसला किया है। जिस भूमि को अब बिना किसी पूर्व सूचना के जबरन अधिग्रहित किया जा रहा है, वह उपजाऊ कृषि भूमि है, जो पीड़ितों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के व्यक्तियों के पास है।

अडानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाँच-पड़ताल भारतीय करें। लेकिन सम्भवतः वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वे रिश्त देते वाले, और "बिग बॉय" को हर क्रीम पर बचाएँ। "बिग बॉय" अर्थात् भारत के प्रधानमंत्री का संरक्षण ही अडानी को इतना आगे लाया है।

अडानी ग्रुप के शेयरों में 20 प्रतिशत तक गिरावट

नयी दिल्ली, 21 नवंबर। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और उनके कुछ बरिष्ठ अधिकारियों पर अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से "झूठे और भ्रामक" तथ्यों के आधार पर वन जुटाने की अरबों डॉलर की योजना में उनकी कथित भूमिका को लेकर अमेरिका की एक अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं।

इस बीच, गुरुवार को शुरूआती कारोबार में अडानी समूह की शेयरों में सी.एस.ई. पर 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी, अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर बी.एस.ई. पर 20 प्रतिशत गिरकर गुरुवार को पूर्वाह्न में 2256.20 रुपये प्रति शेयर तक आ गया था।

जयपुर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शादी समारोह में सोनिया गांधी भी हिस्सा ले सकती हैं। इस शादी समारोह में गांधी परिवार 3 दिनों तक जयपुर में रहेगा। प्रियंका गांधी अपने परिवार के साथ तीन दिन पहले ही रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आ चुकी थीं। अब वे पति रॉबर्ट वाडा, बेटा रहान और बेटी मिराया के साथ जयपुर आई हैं। एक सप्ताह पहले भी चुनाव प्रचार के बीच प्रियंका गांधी विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पर आई थीं और बेटे रहान को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारकर वापस चुनाव प्रचार के लिए चली गईं थीं।

'गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अडानी ने अमेरिकन एवं भारतीय कानूनों को तोड़ा है। मुझे हैरानी है कि 2000 करोड़ रुपये के घोटाले व कई अन्य कारनामों के बाद भी यह आदमी खुला क्यों घूम रहा है।

उन्होंने हैरानी जतायी कि झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को तो मिन्टों में गिरफ्तार कर लिया पर इस व्यवसायी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

उन्होंने आरोप लगाया, "मैं जनता को बताना चाहता हूँ कृपया ध्यान दीजिए। अडानी ने 2000 करोड़ र. का घोटाला किया है पर अडानी को ना तो गिरफ्तार किया जाएगा न ही उन पर कोई जांच होगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनसे जुड़े हुए हैं।"

बाद में भाजपा प्रवक्ता सभित पात्रा ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा।

उन्होंने कहा, सन् 2002 से ही राहुल व उनकी मां सोनिया गांधी और कांग्रेस मोदी की छवि खराब करने में जुटे हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिली है और जिस दिन विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही है उस दिन एक पराए देश में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल रहा था।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पात्रा ने

कांग्रेस तथा उसके मित्रदलों द्वारा शासित राज्यों में अडानी ग्रुप के निवेशों का उल्लेख किया।

पात्रा ने कहा, "इसने (अडानी ग्रुप) ने 25 हजार करोड़ तथा 65 हजार करोड़ रू. क्रमशः छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उस समय निवेश में उस समय निवेश किये, जब वहाँ भूपेश बंधेल और अशोक गहलोत की सत्ता थी। इसके अलावा, अडानी ग्रुप ने 45 हजार करोड़ रुपये का निवेश द्रमुक-शासित तमिलनाडु में किया, और हाल ही में, उन्होंने 100 करोड़ रू. का दान एक रिक्त डवलपमेन्ट फाउन्डेशन के लिए तेलंगाना के मुख्यमन्त्री रेवन्त रेड्डी को दिया है।"

भाजपा नेता ने पूछा, "अगर अडानी "घट्ट" हैं तो कांग्रेस सरकारों उनकी कम्पनी से निवेश क्यों माँग रही है।"

राहुल गांधी पर अपना हमला जारी रखते हुये, पात्रा ने राफेल सोदे के खिलाफ कांग्रेस नेता के आरोपों का जिक्र किया।

पात्रा ने कहा, "आज राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पर एक बार फिर, उन्होंने वैसा ही व्यवहार दर्शाया, जो चीजों को उसी प्रकार प्रस्तुत किया, जैसे वे करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नया नहीं था। उनके

पास कुछ पास कुछ नाम हैं, और कुछ निश्चित तरीके हैं, जिन्हें काम में लेते हुये, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तथा भाजपा और प्रधानमन्त्री मोदी के खिलाफ आरोप लगाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ... जिस तरह से हमने केस दर्ज किया, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं बुलाई... आर भी केस दर्ज कीजिये, कोर्ट जाइये। राहुल गांधी ने अपनी पी.सी. में कहा कि कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका का काम भी कर रही है। मौ-बेटे दोनों खुद तो जमानत पर हैं और न्यायपालिका का कार्य कर रहे हैं। इनमें से आधे लोग

'शिक्षक की वार्षिक वेतन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सांभर लेक में गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्यरत है। विभाग ने दिसंबर, 2021 में उसे आरोप पत्र जारी किया और अगस्त, 2023 में उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी आधार पर रोक ली। इसके खिलाफ उसने शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील पेश की, जिसे शिक्षा निदेशक ने गत 26 जुलाई को खारिज करते हुए कहा कि वह विद्यार्थियों को अध्यापन के दौरान अधिकांश भाषा नहीं बोलता है। दोनों

जमानत पर हैं और न्यायपालिका का कार्य कर रहे हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी तथा "अडानी ग्रीन" को अन्य बरिष्ठ एजोकेयूटिव्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सोलर पावर कॉन्ट्रैक्टों पर हस्ताक्षर करने के लिये भारत सरकार के अधिकारियों को 26.5 करोड़ डॉलर रिश्त दी या प्रस्तावित की।

अडानी तथा अन्य पर अमेरिका में उन्हीं प्रोजेक्टों के लिए कथित रूप से पैसे उगाहने का अभियोग लगाया है। अडानी तथा अन्य ने इसे लिये वादा किया है कि उनकी फर्म रिश्त विरोधी

का कार्य कर रहे हैं।

आदेशों को चुनौती देते हुए कहा गया कि उसने संपूर्ण पढ़ाई हिंदी भाषा में की है। इसके अलावा, वह नियुक्ति वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक हर साल सौ फीसदी परीक्षा परिणाम देता आया है। यह स्कूल पहले हिंदी माध्यम ही था, जिसे बाद में अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

कानूनों पर अटल रहती है। अडानी ग्रुप ने अमेरिकन प्रॉसिक्यूटर्स द्वारा लगाये गये आरोपों को खारिज किया है। इस बिजनेस ग्रुप ने एक बयान में कहा, "अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तथा यूएस सिस्यूटिवीज एंड ऐक्सचेंज कमीशन द्वारा "अडानी ग्रीन" के निदेशकों पर लगाये गये आरोप निराधार हैं तथा खारिज किये जाते हैं।"

कार्यरत शिक्षक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपीलार्थी को सरप्लस घोषित कर दिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक के आने से उसे सरप्लस घोषित नहीं किया जा सकता।

वह नियमानुसार विभाग की ओर से आयोजित साक्षात्कार में सफल होकर इस पद पर काम कर रहा है। ऐसे में उसे सरप्लस घोषित करने और अन्य जगह पदस्थापित करने पर रोक लगाई जाए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए, अधिकरण ने याचिकाकर्ता को सरप्लस घोषित कर हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।